भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4258

दिनांक 20 दिसंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

ओडिशा में स्वास्थ्य सुविधाएं

4258. श्री अनन्त नायक:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सम्पूर्ण देश में निजी अस्पतालों को रियायती दरों पर भूमि तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करती है और यदि हां, तो ओडिशा और विशेषकर क्योंझार जिले सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) सरकार द्वारा नाममात्र की दरों पर भूमि आवंटित करने और सुविधाएं प्रदान करने के लिए किस तंत्र का पालन किया गया है;
(ग) कया रियायती दरों पर भूमि प्राप्त किए हुए अधिकांश अस्पताल सस्ती भूमि और सुविधाओं का लाभ उठाने के संबंध में सरकार द्वारा निर्धारित नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा ऐसे अस्पताल प्राधिकारियों के विरुद्ध क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (घ): 'स्वास्थ्य' राज्य का विषय है, इसलिए राज्य सरकारों द्वारा रियायती या नाममात्र दरों पर निजी अस्पतालों को प्रदान की जाने वाली भूमि और अन्य सुविधाओं का विवरण तथा उसके तंत्र का लेखा जोखा केंद्रीय स्तर पर रखरखाव नहीं किया जाता है।

भारत सरकार ने मान्यता प्राप्त चिकित्सा प्रणालियों से संबंधित सरकारी (सशस्त्र बलों को छोड़कर) तथा निजी नैदानिक प्रतिष्ठानों के पंजीकरण और विनियमन के लिए नैदानिक स्थापना (पंजीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 (सीई अधिनियम) अधिनियमित किया तथा उसके अंतर्गत नैदानिक स्थापना (केंद्र सरकार) नियम, 2012 अधिसूचित किए। सीई अधिनियम को राज्य सरकारों द्वारा अपनाया और कार्यान्वित किया जाना है, ताकि यह उनके अधिकार क्षेत्र में लागू हो। जिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने सीई अधिनियम को

अपनाया है, वे अधिनियम के प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निजी अस्पतालों सहित अस्पतालों को विनियमित करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। सी.ई. अधिनियम के अनुसार, नैदानिक स्थापनाओं को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के न्यूनतम मानकों, कर्मियों की न्यूनतम आवश्यकता, अभिलेखों के रखरखाव और प्रतिष्ठान द्वारा ली जाने वाली दरों को किसी प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित करने की शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। यदि अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जाता है तो सी.ई. अधिनियम में अस्पतालों के पंजीकरण को रद्द करने का भी प्रावधान है । जिन राज्यों ने सी.ई. अधिनियम को नहीं अपनाया और लागू नहीं किया है, वहां नैदानिक स्थापनायें उन राज्यों के अधिनियमों द्वारा पंजीकृत और विनियमित हैं।

*****